न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 82/2020 जिला–सीकर।

पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल, RAS।

महराज खां पुत्र हमीद खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम नेछवा तह0 'लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

अपीलान्ट्

बनाम

1. नानू खां पुत्र अजीम खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम नेछवा तह0 लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
2. यासीन खां पुत्र कालू खां जाति कायमखानी मुसलमान निवासी ग्राम नेछवा तह0 लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
3. सुशीला पत्नी सांवरमल जामि नायक निवासी ग्राम नेछवा तह0 लक्ष्मणगढ जिला सीकर।
4. तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर।

रेस्पोंडेन्ट्स

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर दिनांक 13.02.2020 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रार्थना पत्र संख्या 63/2019

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री श्यामबाबू पारीक।
2. वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 श्री हरलाल सिंह।

निर्णय

दिनांक 20.09.2021

1. यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के निर्णय दिनांक 13.02.2020 के खिलाफ दिनांक 11.03.2020 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम बाबत कराये जाने पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया कि उनकी खातेदारी भूमि आराजी खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 है0 वाके ग्राम नेछवा तहसील 'लक्ष्मणगढ जिला सीकर में स्थित है। दिनांक 19.06.2019 को उक्त भूमि की मौके पर सीमाज्ञान हो चुका है किन्तु अप्रार्थीगण सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 के अनुसार कायम किये गये सीमा चिन्हो को नष्ट करने पर आमादा है एवं सीमाज्ञान के अनुसार पत्थरगढी करने में व्यवधान उत्पन्न कर रहे है। अतः पत्थरगढी कराये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 है0 तन ग्राम नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 के अनुसार पत्थरगढी कराई जाने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को आदेश प्रदान किये गये।
4. न्यायायल उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
5. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलांट् उपस्थित। अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 उपस्थित। रेस्पोडेंट् संख्या 02 व 03 की ओर से कोई उपस्थित नही आया। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

6. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 है0 तन ग्राम नेछवा आबादी में परिवर्तन हो चुकी है तथा छोटे छोटे भूमि खण्डो में तब्दील हुई है। इस भूमि पर किसी भी रूप में कब्जा काश्त नही है तथा रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा इस भूमि में से कई भूखण्ड काटकर जरिये इकरारनामा लोगो को बचान किया जा चुका हैं। उक्त भूमि पर वर्तमान में आबादी बसी हुई हैं। सीमाज्ञान के विरूद्ध अपीलांट की ओर से तहसीलदार लक्ष्मणगढ के समक्ष दिनांक 11.7.2019 को आपत्ति प्रस्तुत की गई थी लेकिन उसका कोई निस्तारण नही किया गया है। खसरा नम्बर 329/3 की सीमाज्ञान रिपोर्ट विना किसी पुख्ता व स्थाई पोईंट तय किये की गयी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस आदेश दिनांक 13.02.2020 के द्वारा पत्थरगढी करवाने का आदेश सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 के आधार पर दिया है उसके विरूद्ध आपत्ति अपीलांट की ओर से तहसीलदार लक्ष्मणगढ के समक्ष लम्बित होते हुये भी उक्त चुनौतिग्रस्त आदेश पारित किया है जो निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 का ना जो अवलोकन किया गया ना ही सीमाज्ञान के लिये अपनायी गयी प्रकिया, मौके की स्थिति, अपीलांट् की ओर से प्रस्तुत जवाब व दस्तावेज, पडौसी खातेदारान की नोटिस की स्थिति के संदर्भ में कोई जानकारी नही ली बिना जानकारी लिये ही उक्त चुनौतिग्रसत आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा आदेश पारित करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान नही दिया गया कि प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.6.2019 जिसके आधार पर रेस्पोडेंट संख्या 01 पत्थरगढी करवाना चाहता है वह रिपोर्ट वास्तविक मौके की रिपोर्ट है या नही। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.02.2020 विधि विरूद्ध व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायायल उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन दिनांक 13.02.2020 निरस्त फरमाया जावे।

7. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 ने बहस के दौरान अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 01 के द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रस्तुत कर आराजी खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 है0 तन ग्राम नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ की सीमाज्ञान दिनांक 19.06.2019 के मुताबिक पत्थरगढी कराई जाने हेतु निवेदन किये जाने पर प्रकरण में उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 है0 तन ग्राम नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 के अनुसार पत्थरगढी कराई जाने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को आदेश दिये गये है। रेस्पोडेंट संख्या 01 द्वारा अपनी खातेदारी भूमि की ही पत्थरगढी कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश की पालना में विवादित भूमि की पत्थरगढी की जा चुकी हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश उचित एवं विधिसम्मत है एवं अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे ।

8. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट् के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि के पत्थरगढी कराने के संबंध मे विवाद है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह प्रतित होता है कि रेस्पोडेन्ट् संख्या 01 के द्वारा अपनी खातेदारी खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 है0 तन ग्राम नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर की पत्थरगढी कराने बाबत प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 है0 तन ग्राम नेछवा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 के अनुसार पत्थरगढी कराई जाने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ को आदेश प्रदान किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश की पालना में तहसीलदार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

लक्ष्मणगढ के आदेश कमांक भू0अ0/2020/686 दिनांक 03.03.2020 एवं उपतहसीलदार नेछवा के आदेश कंमांक भू0अ0/2020/272–280 दिनांक 04.06.2020 की अनुपाल़ना में गठित टीम द्वारा उक्त विवादित भूमि की पत्थरगढी दिनांक 11.06.2020 को की जा चुकी हैं।

9. हम समझते हैं कि विवादित भूमि का सीमाज्ञान तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर के आदेश कमांक भू0अ0/2019/146 दिनांक 13.06.2019 की पालना में पटवारी हल्का नेछवा के द्वारा गठित टीम के साथ खसरा नम्बर 329 मूल की सीमाये मापकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 है0 की सीमाज्ञान की जाकर निशान देही दिनांक 19.06.2019 को की गई थी। जिस भूमि का सीमाज्ञान किया गया था वह अपीलान्ट् की खातेदारी भूमि नहीं है। रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान किया गया था। प्रकरण में पूर्व में रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 की प्रश्नगत भूमि का सीमाज्ञान होने के कारण रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर जिला अलवर ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 पारित कर प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 329/3 रकबा 0.5767 है0 वाके ग्रम नेछवा के बाबत मौका पर्चा सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 19.06.2019 के आधार पर पत्थरगढी कराई जाने हेतु तहसीलदार लक्ष्मणगढ जिला सीकर को आदेश प्रदान किये है जो उचित एवं विधिसम्यक है तथा अपीलाधीन आदेश की पालना में विवादित भूमि की पत्थरगढी दिनांक 11.06.2020 को की जा चुकी है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

10. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट् खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.02.2020 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

20/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

11. निर्णय आज दिनांक 20.09.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/9/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति.सम्भागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner